

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

जसकोर वडो बनाम अशदीध वडो

वडा दावा मुकदमा नं. 69 सन् 2017

हुकम या कार्यवाही भय लाग्नुपलागर फज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की लागीम में जारी हुए
<p>वकील चादीगण श्री सज्जाद खान ने हाजिर अदात्मत होकर चाकपत्र सम प्रार्थना पत्र U/s 80 (2) CPC चेसा छिफा। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। दावा दर्ज रजिस्टर छिफा जावे। प्रतिवादीगण की तल्बी जरूर लग्गन की जाकर पत्रावली डिनांक 23-06-2017 को वेरा हो।</p>	<p>25-78-87 355</p>
<p>10/17 इकजाही पेसी देवे पत्रावली आज पेश हुई। अभिलेखण द्वारा सज्जम न्यायालय का क्लिफर लेने के कलम अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8.12.17 को वेरा हो।</p>	
<p>08/17 पत्रावली पेश हुई। चकुलाय परिकेन जस/अनुमतिता पीदासीन अधिकारी देवे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/01/18 को वेरा हो।</p>	
<p>13/18 पत्रावली पेश हुई। चकुलाय परिकेन जस/अनुमतिता पीदासीन अधिकारी देवे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/04/18 को वेरा हो।</p>	
<p>13/18 पत्रावली पेश हुई। चकुलाय परिकेन जस/अनुमतिता पीदासीन अधिकारी देवे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/07/18 को वेरा हो।</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p style="text-align: center;"> जि.पी.सी. प्र. ७२१५/आ.क हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दादा 69/17 </p>
<p>13⁰⁷/₁₈</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफोन प्र. / अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी को / अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/10/18 को पेश हो।</p>
<p>14⁰⁷/₁₈</p>	<p>इकावली पेश हुई पर पत्रावली आज पेश हुई। अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी को / अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/07/18 को पेश हो।</p>
<p>22⁰³/₁₉</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफोन प्र. / अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी को / अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/04/19 को पेश हो।</p>
<p>05⁰⁴/₁₉</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफोन प्र. / अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी को / अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/06/19 को पेश हो।</p>
<p>01⁰⁵/₁₉</p>	<p>पकील कादिमा इवारा प्रस्तुत शर्चना - पर मिलात तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व लिखत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। पकील कादी ने प्रा. प्र. पेश कर निवेदन किया कि कादिमा को छोड़ कर आगे नहीं चलाना चाहती हैं। अतः शर्चना - पर स्वीकार किया जाकर दादा सिद्धा छोड़े जाने की अनुमति प्रदान करें। वकील कादिमा इवारा प्रस्तुत शर्चना - पर मिलात तलबी व सिद्धा छोड़े जाने दादा न्याय दिन से स्वीकार किया जाकर दादा सिद्धा छोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण बंदी कर पर ठहरा दी जाती है। पत्रावली प्रेमल कुमार डेउर मम्बर से उठ है तथा बाप तलबील कादिम इवारा है। निवेदन पूरे न्यायिक में सुनाया गया।</p>